न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 13/2026

श्री अनूप सिहं निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू पिनकोड 333026 मो.न. 7014214279

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 02.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 13/2026 पर दिनांक 15.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 157—158 दिनांक 16.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ ने न्यायालय हाजा में उक्त अपीलार्थी द्वारा की गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई जबाब या तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ द्वारा कोई जबाब या तथ्यात्मक टिप्पणी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसे में साफ है कि उनके द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क जरिये रजि. डाक से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं